**...ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर**

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

| तारीख पेशी | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.6.23 | मुकेश बनाम शेखी वगैरह (160/2023) | |

मुकेश बनाम शेखी वगैरह (160/2023)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 जा.दी. वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 को प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 14.06.2023 को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 04 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अप्रार्थी/अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके सलंग्न अप्रार्थी/अपीलांट ने मिथ्या व गलत गथन के आधार पर शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर विश्वास कर माननीय नयायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.10.2022 को अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर अपील मीमो में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान कर परीक्षण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का 60 दिवस में निस्तारण करने के निर्देश देते हुए प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्टस की तलबी किये तलबी किये बिना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का अंतिम निस्तारण कर दिया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 में वर्णित निर्देशों की अनुपालना में अप्रार्थी/अपीलांट का यह विधिक दायित्व था कि वह परीक्षण न्यायालय के समक्ष माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय एवं वर्तमान प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को उक्त आदेश दिनांक 19.10.2022 में दिये गये निर्देशों से अवगत करवाते, किन्तु उन्होनें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 के सम्बनध में कोई सूचना नहीं दी गई एवं उक्त आदेश को लेकर स्वयं के पास सुरक्षित रख लिया व प्रकरण में तहत न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में रूचि नहीं ले रहे है जिस कारण प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस जो कि वादग्रस्त आराजीयात के सद्भाविक क्रेता होकर काबिज काश्त चले आ रहे है जिनके हित विपरीत रूप से प्रभावित होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.10.2022 से व्यथित होकर प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 ने यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अभिभाषक प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम हाथीखेड़ा स्थित वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थी/अपीलांट के पिता बाबूसिंह पुत्र काना तथा लालसिंह पुत्र काना उक्त दोनो ने अपने आपको स्वर्गीय हालू पुत्र देवा जाति रावत के दत्तक पुत्र की हैसियत से वादग्रस्त आराजीयात जरिये पंजीबद्ध विक्रय-पत्र दिनांक 27.01.1992 को प्रार्थीगण/रेसपोडेन्टस को विक्रय कर मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त करवा दिया तथा आज दिनांक तक काबिज काश्त चले आ हरे है। अप्रार्थी/अपीलांट के पिता बाबूसिंह पुत्र काना दत्तक पुत्र हालू रावत ने एक रिलीज डीड ग्राम हाथीखेड़ा के वर्तमान जमाबंदी (2041) खाता संख्या 350 नया के खसरा नम्बर 489 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि लाल सिंह पुत्र काना दत्तक पुत्र हालू रावत के हक में तस्दीक करवाया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 567 दिनांक 31.02.2007 को स्वीकृत किया गया अर्थात पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 27.01.1992 में अंकित वल्दियत तथा उक्त हकत्याग के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 567 से स्वयं सिद्ध है कि वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर

# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

160/2023/अपील

मुकेश बनाम शांति

| तारीख | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर |
|---|---|
| पेशी | 2023/160<br>श्री रामसुख चौधरी श्री |

लगातार

आराजी बाबू सिंह व लाल सिंह पुत्र काना दत्तक पुत्र हालू ने अपने नाम बराबर–बराबर अंकन करवायी थी उक्त अंकन से दोनो भाई आपस में सहमत थे यदि ऐसा नहीं होता तो अप्रार्थी/अपीलांट के पिता बाबू सिंह पुत्र काना दत्तक पुत्र हालू रावत जिसका स्वर्गवास दिनांक 15.02.2020 को होना स्वयं अप्रार्थी/अपीलांट ने अपील मीमो में स्वीकार किया है अर्थात उपरोक्त आराजीयात बाबत् विक्रय पत्र व हकत्याग–पत्र को बाबूसिंह ने अपने जीवनकाल में कभी भी चुनौती नहीं देने के कारण तथा वादग्रस्त आराजीयात पर अप्रार्थी/अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध लगभग 31 वर्ष बाद सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य की व्यक्तिगत जानकारी होने के उपरान्त अप्रार्थी/अपीलांट ने माननीय न्यायालय से वास्तविक तथ्य छुपाकर आदेश पारित करवाया है। अप्रार्थी/अपीलांट ने लालसिंह पुत्र काना दत्तक पुत्र हालू रावत को या इसके विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये बगैर प्रस्तुत करवाया है जो विधिवत चलने योग्य ही नही था । ग्राम हाथीखेड़ा की वर्किंग जमाबंदी सम्वत 241 के नये खाता संख्या 350 में हालू वल्द देवा जाति रावत को अप्रार्थी/अपीलांट ने अपना दादा अंकन कर उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत करवाया जबकि उक्त खतौनी में कुल किता 54 रकबा 71 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि के खातेदार हालू वल्द देवा के खातेदारी में अंकित थी यदि अप्रार्थी/अपीलांट माननीय न्यायालय व परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो से आया होता तो उक्त खतौनी में अंकित सम्पूर्ण भूमि को सयांजित कर नियमित वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाता किन्तु ऐसा नहीं कर वास्तविक तथ्य छुपाते हुए अपूर्ण खसरा नम्बर बाबत् प्रकरण करवा कर आदेश प्राप्त किये हैं ।माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 19.10.2022 को निरस्त किया जाकर उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स को सुमचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने के ओदश प्रदान किये जावें ताकि प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के साथ उचित न्याय हो सकें।

अभिभाषक प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 का मुख्य कथन यह है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 में वर्णित निर्देशों की अनुपालना में अप्रार्थी/अपीलांट का यह विधिक दायित्व था कि वह परीक्षण न्यायालय के समक्ष न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की प्रति मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय एवं वर्तमान प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स को उक्त आदेश दिनांक 19.10.2022 में दिये गये निर्देशों से अवगत करवाते, किन्तु उन्होनें न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 के सम्बनध में कोई सूचना नहीं दी गई एवं उक्त आदेश को लेकर स्वयं के पास सुरक्षित रख लिया व प्रकरण में तहत न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में रुचि नहीं ले रहे है,जबकि न्यायालय हाजा द्वारा प्रत्येक पारित आदेश की प्रमाणित अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जाती है तो अभिभाषक प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स को यह कथन तो गलत है कि उन्होने न्यायालय हाजा की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की या अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी नहीं नहीं आया। न्यायालय

(हस्ताक्षर)
[illegible] सदस्य

लगातार

# ज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

| पेशी | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| श्री | श्री | |

हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था तथा विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दियें थे एवं प्रकरण (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम ) को 60 दिवस में निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। यदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण नहीं किया गया तो प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को यदि उक्त आदेश से आपत्ति थी तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करते किन्तु वहॉ चाराजोही नहीं कर यह प्रार्थना–पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है। अभिभाषक प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को यह भी कथन है कि अप्रार्थी/अपीलांट ने मुख्य तथ्य छिपाकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश प्राप्त किये है। विवादित आराजी बाबत् हक, अधिकार बाद साक्ष्य व सुनवाई वाद पत्र में तय होगें न्यायालय हाजा द्वारा विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित किये जिससे प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 04 को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 21 जा0दी0 खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 21 जा0दी0 खारिज किया जाता है तथा हाजा न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 312/2022 में पारित आदेश दिनांक 19.10.2022 यथावत रखा जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को यह निर्देश दिये जाते है कि वे उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम का शीघ्रातीशीघ्र निस्तारण करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजेन्द्रसिंह शेखावत
राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर